पत्रांक–01 / सी०एल०–10–20 / 2025, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक–

विषयः– विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू0 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से पंचम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद / ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन / एफ०आई०आर०
1	बक्सर	BIH_BUXAR_2025_111032	समीर खान	19.03.2025	132/2025
1	मुंगेर	BIH_MUNGE_2024_110577	शिवम कुमार	04.11.2024	68/24
2		BIH_MUNGE_2025_111019	विद्या सागर	10.03.2025	40/25

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण।
बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	36459069351	SBIN0000051	01	01@25000	25,000	पत्रांक–389 दिनांक–22.05.2025
मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	36610753057	SBIN0000136	02	02@25000	50,000	पत्रांक–964 दिनांक–27.05.2025
कुल				03	03@25000	75,000/- (पचहत्तर हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/सी०एल०–10–20/2025, श्र०सं०....... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक, बक्सर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/सी०एल०–10–20/2025, श्र०सं०...3434 पटना, दिनांक 16/06/25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/6/25
श्रमायुक्त, बिहार